न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 157/2019 जीसीएमएस संख्या 2019/00148

1. रामनाथ पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम श्रीगोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.05.2017 रास्ता प्रकरण संख्या/2017/53 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

उपस्थित–

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 24.05.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम श्रीगोविन्दपुरा तहसील आमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 124/1 रकबा 0.03 है0 एवं 109/3 रकबा 0.04 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित करते हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.05.2017 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 24.05.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम श्रीगोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 109/3 रकबा 0.04 के अपीलांट काबिज रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त आराजीयात का लगान भी अपीलांट द्वारा जमा करवाया जा रहा है। तहसीलदार आमेर द्वारा स्वयं की रिपोर्ट में उक्त रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है कि मौके पर रास्ता चालू है अथवा नहीं। यदि चालू है तो किस–किस ग्रामों की सीमाओं को आपस में मिलाता है। ऐसे में तहसीलदार आमेर द्वारा किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट तैयार ही नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के संबंध में कोई विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना एवं अस्पष्ट रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार आमेर द्वारा आपसी सहमति से हुये विभाजन के आधार पर रास्ता प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को चालू रास्ते की भूमि को प्रस्तावित किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। चूंकि अपीलांट्स प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 109/3 रकबा 0.04 के रिकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र

96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार आमेर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। अतः इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार आमेर द्वारा प्रश्नगत रास्ता के संबंध में आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.05.2017 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.05.2017 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।